

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक-

संख्या: 12/पद०-01-01/2019 का०. /श्री रामदेव चौधरी (झा०स०आ०से०),
आप्त सचिव, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची (सम्प्रति झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सुधार
आयोग, राँची में प्रतिनियुक्त) की झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, राँची में की
गई प्रतिनियुक्ति को समाप्त करते हुए पदस्थापित स्थान राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची में
यथावत रखा जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(रंजीत कुमार लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 12/पद०-01-01/2019 का०. 3608/ राँची, दिनांक- 13.06.2022
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व पर्वद, झारखण्ड,
राँची/अवर सचिव(स्थापना)/अवर सचिव(प्रभारी प्रशाखा-16), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार
तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक
सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा
तथा संबंधित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।